न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 90/2024 G.C.M.S. No. 2024/381 दर्ज दिनांक : 25.09.2024

अपीलार्थिगण:

1. गेनाराम पुत्र रताराम
2. मृत गणेशराम पुत्र रताराम के वारिसान–
   2/1. रमेश पुत्र गणेशमल
   2/2. भावना पुत्री गणेशमल
   2/3. चौथी देवी पत्नि गणेशमल
3. मृत वीराराम पुत्र रताराम के वारिसान–
   3/1. प्रकाश पुत्र वीराराम
   3/2. देवीबाई पत्नि वीराराम
   3/3. मृत अशोक पुत्र वीराराम के वारिसान–
      3/3/1. ललित पुत्र अशोक
      3/3/2. सोनू पुत्री अशोक
      3/3/3. शारदा पत्नि अशोक
4. किकाराम पुत्र कुपाराम
5. हन्जा पुत्री कुपाराम
6. रावाराम पुत्र छोगाराम
   6/1 कन्यादेवी पत्नि रावाराम
   6/2 महेन्द्रकुमार पुत्र रावाराम
   6/3 नरेशकुमार पुत्र रावाराम
   6/4 बदामी पुत्री रावाराम
   6/5 लीला पुत्री रावाराम
   6/6 चन्दा पुत्री रावाराम
7. पोकरराम पुत्र छोगाराम
8. उम्मेदमल पुत्र छोगाराम
9. देवाराम पुत्र छोगाराम
10. आरती पुत्री छोगाराम
11. बाबुलाल पुत्र गन्साराम उर्फ मनाराम
12. गंगादेवी पत्नि मन्साराम उर्फ मनाराम
13. कमलेश पुत्र कानाराम
14. मांगीलाल पुत्र कानाराम
15. शान्तीदेवी पत्नि कानाराम
16. मृत भागवन्ती पुत्री कानाराम के वारिसान–
   16/1. प्रवीण पुत्र भांगवन्ती पत्नि सोहनलाल
   16/2. कैलाश पुत्र भागवन्ती पत्नि सोहनलाल
   16/3. सीमा पुत्री भागवन्ती पत्नि सोहनलाल
   16/4. कविता पुत्री भागवन्ती पत्नि सोहनलाल
   16/5. सोहनलाल पुत्र शिवलाल
17. मृत सांकलाराम पुत्र भगवानराम के वारिसान–
   17/1. जयन्तिलाल पुत्र सांकलाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

17/2. कैलाश पुत्र सांकलाराम
17/3. सदनलाल पुत्र सांकलाराम
17/4. कमला पुत्री सांकलाराम
17/5. मन्जु उर्फ फुटी पुत्री सांकलाराम
17/6. पवनी पुत्री साकलाराम
17/7. गोवनी पुत्री सांकलाराम
17/8. मृत पोनीदेवी पत्नि सांकलाराम (वारिसान 17/1 से 17/7 है)
18. विकास पुत्र शिवलाल
19. शारंदा पुत्री शिवलाल
20. श्रीमति लीला देवी पत्नि शिवलाल
21. भरत पुत्र शंकरलाल
22. प्रवीण पुत्र शंकरलाल
23. सन्तोष पुत्री शंकरलाल
24. रेखा पुत्री शंकरलाल
25. नर्मदा उर्फ फालू पुत्री शंकरलाल
26. सावित्री देवी पत्नि शंकरलाल, जातिगण ब्राह्मण, निवासीगण भाटुन्द, तहसील–बाली, जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. मृत रूपाराम पुत्र जसा के वारिसान–
   1/1. तुलसी पत्नि रूपाराम
   1/2. दिनेश कुमार पुत्र रूपाराम
   1/3. सविता पुत्री रूपाराम, जातिगण भील निवासीगण भाटुन्द हाल मोरी बेडा, तहसील बाली, जिला पाली
2. मगाराम पुत्र धुलाराम जाति मीणा निवासी बोया, तहसील बाली, जिला पाली
3. राजस्थान सरकार, भूमिधारी जरिये, तहसीलदार, बाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 84/2023 बअनवान गेनाराम बनाम स्व. रूपाराम के का.मु. तुलसी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 07.08.2024

पैरोकार–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री वीरमाराम मीणा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 2
3. रेस्पोंडेंट संख्या 1/1 लगायत 1/3 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 15.01.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

84/2023 बजनवान गेनाराम बनाम स्व. रूपाराम के का.मु. तुलसी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 07.08.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलांट्स ने रेस्पोंडेन्ट्स के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त भूमि ग्राम भाटुन्द के गत खसरा नंबर 343 के नवीन खसरा नंबर 587 रकबा 2.30 हैक्टेर के संबंध में प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने बाबत अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त भूमि सेटलमेंट पूर्व अपीलांट्स व उनके पूर्वजों के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थीं। सेटलमेंट विभाग द्वारा बिना अधिकारिता के वादग्रस्त भूमि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के नाम गैर खातेदारी दर्ज कर दी गई, जो कि अवैध इन्द्राज है। विधिनुसार सेटलमेंट अधिकारियों को गत प्रविष्टि को बदलने, किसी की खातेदारी समाप्त करने, कम करने एवं बढ़ाने की कोई अधिकारिता नहीं हैं। सेटलमेंट अधिकारी को केवल मात्र गत प्रविष्टि को हूबहू इन्द्राज किये जाने की अधिकारिता है। इसके बावजूद सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा वादग्रस्त भूमि के गत खसरा नंबर 343 से मिलान क्षेत्रफल अनुसार बने नये खसरा नंबर 587 को गलत रूप से रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के नाम गैर खातेदारी की राजस्व रेकर्ड एवं मिसल बंदोबस्त में दर्ज कर दी गई। वादग्रस्त भूमि सेटलमेंट से पूर्व अपीलांट्स के पूर्वजों की खातेदारी की राजस्व रेकर्ड में दर्ज थीं एवं तब से वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स के पूर्वजों का कब्जा काश्त भौतिक रूप से चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट्स के पक्ष में दिनांक 22.03.2023 को एकपक्षीय अंतरिम व्योदश पारित कर रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। इसके पश्चात् रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा जानबूझकर नोटिस तामिल से गुरेज करने पर रेस्पोंडेन्ट्स के नोटिस जरिये पंजीबद्ध डाक से तलबी किये जाने बाबत् आदेश पारित किया गया। इसी दौरान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना जैर अपील आदेश पारित किया गया। वादग्रस्त भूमि रेस्पोंडेन्ट्स व उनके पूर्वजों के नाम कभी खातेदारी व कब्जे में नहीं रही हैं। केवल मात्र सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा की गई गलती के आधार पर राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज होने के आधार पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 को विक्रय की गई है। जैर अपील आदेश की आड़ में रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 अपीलांट्स को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है, अगर वह ऐसा करने में कामयाब हो गये तो इससे अपीलांटगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश को अपास्त फरमावें।

राजस्व अपील अधिकारी

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 22.03.2023 को अप्रार्थीगण रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई तथा दिनांक 07.08.2024 को एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अपास्त की गई। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा रेस्पोंडेंट्स की तलबी हेतु सम्मन प्रस्तुत किए गए तथा न्यायालय हाजा द्वारा सम्मन जारी किए गए। अतः स्पष्ट है कि प्रकरण में आदेश 39 नियम 3 की अपीलांट द्वारा अनुपालना की गई। दिनांक 01.07.2024 की आदेशिका अनुसार अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन पेश किए, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी दिनांक को जारी होकर पत्रावली दिनांक 30.07.2024 को नियत की गई। दिनांक 30.07.2024 को अप्रार्थीगण की तलबी इंतजार होकर पत्रावली दिनांक 07.08.2024 को नियत की गई। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2024 को प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई सुसंगत साक्ष्य या अभिलेख पेश नहीं किया है। जिससे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को जारी रखा जावें, के अंकन के साथ दिनांक 22.03.2024 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अपास्त कर दी गई। हमारे विनम्र मत में एकपक्षीय अस्थाई अंतरिम व्यादेश जारी होने के पश्चात प्रार्थी को अविलंब आदेश 39 नियम 3 की अनुपालना अपेक्षित होती हैं। जो प्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से की गई। इसके बावजूद प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी पूर्ण नहीं होना प्रार्थीगण की लापरवाही को नहीं दर्शाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की तलबी पूर्ण किए बिना एवं अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में तथा जवाब प्राप्त हुए बिना अंतरिम अस्थाई व्यादेश को अपास्त किया गया। जो हमारे विनम्र मत में पुष्टि योग्य नहीं हैं।
3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त करते हुए प्रकरण 60 दिवस में विधिनुरूप निर्णित करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 84/2023 बअनवान गेनाराम वगैरह बनाम रूपाराम के का.मु. तुलसी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 07.08.2024 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण 60 दिवस में अंतिम रूप से निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 20.02.2026 को असालतन/वकातलन न्यायालय सहायक कलक्टर बाली में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner